झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–450 वर्ष 2017

बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग शाखा, अपने सहायक महाप्रबंधक अतुल प्रताप सिंह, पुत्र–श्री उदय पाल सिंह, निवासी–जिला परिषद् भवन, जिला बोर्ड चौक, डाकघर एवं थाना–सदर, जिला–हजारीबाग (झारखण्ड) .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. उपायुक्त, डी0सी0 कार्यालय, न्यायालय परिसर, डाकघर, थाना एवं जिला–हजारीबाग (झारखण्ड)

3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डी0एफ0ओ0 कार्यालय, न्यू बस स्टैंड के पास, डाकघर, थाना एवं जिला–हजारीबाग (झारखण्ड)

4. आनंद मेहता, पुत्र–भैरो मेहता, निवासी ग्राम एवं डाकघर–पहड़ा, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग (झारखण्ड) .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :–श्री अवनीश रंजन, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– एमडी0 राजीव रंजन मिश्रा, अधिवक्ता

04 / दिनांकः 12 अप्रैल,2018

याचिकाकर्त्ता बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने प्रतिवादी संख्या 2 और 3, जो उपायुक्त, हजारीबाग और वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग हैं, को निर्देश देने के लिए

प्रार्थना की है कि वे वाहन एच0जी0वी0–1 लोडर बैकहो जे0सी0बी0 मशीन जिसका पंजीकरण सं0–जे0एच0–01 ए0जी0 7703, इंजन सं0 41122630929190 और चेसिस सं0–एक्स 1382789 है, को बैंक के पक्ष में मुक्त करें न कि प्रतिवादी सं0–4 के पक्ष में।

इस मामले में तथ्य निर्विवाद है। प्रतिवादी सं0–4 ने याचिकाकर्त्ता बैंक से ऋण लेने के बाद एक जे0सी0बी0 मशीन खरीदी। प्रतिवादी सं0–4 इस वाहन के साथ वन अपराध में शामिल था, जिसकि परिणामस्वरूप जे0सी0बी0 को जब्त कर लिया गया था। कन्फीसकेशन केस सं0–04/2012 में दिनांक 12.03.2013 को अंतिम आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत यह आदेश दिया गया था कि वाहन को जब्त कर लिया जाना चाहिए। उक्त आदेश के खिलाफ अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवादी सं0–4 द्वारा अपील दायर की गई है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि वन अपराध करने के लिए एक आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। इस बिन्दु पर याचिकाकर्त्ता यानी बैंक, इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करता है कि उत्तरदाताओं को प्रतिवादी सं0–4 के पक्ष में वाहन जारी न करने और बैंक के पक्ष में इसे जारी करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि वाहन बैंक का बंधक है।

पार्टियों को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि जब्ती कार्यवाही में अंतिम आदेश पहले ही पारित कर दिया गया है और वाहनों को जब्त कर लिया गया है। चूंकि वाहन को पहले ही जब्त कर लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्त्ता को या प्रतिवादी सं0–4 को वाहन जारी करने का काइ सवाल ही नहीं है।

इस प्रकार, यह रिट एप्लिकेशन खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)